an>

Title: Need to take steps for providing benefits and facilities to persons belonging to socially, educationally and economically weaker section as are available to Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी) ः केन्द्र सरकार द्वारा जून 1999 में ऐसी विभिन्न जातियों को जो अनुसूचित जाति/जनजाति का दर्जा प्राप्त करने की पात्रता रखती हैं, को ऐसा दर्जा प्रदान करने हेतु एक कार्यविधि तैयार की गई थी जिसमें जून 2002 में संशोधन किया गया था। उस कार्य विधि द्वारा राज्य (राज्यसंघ) क्षेत्र से यह अपेक्षा की गई थी कि एक जाति का विनिर्देशन करने हेतु नृजातीय आंकड़ों के साथ पूर्ण प्रस्ताव करना आवश्यक है। हिन्दू बंजारा, बोट, गुरछिया, रायसिख व मजहबीसिख समेत ऐसी कई जातियाँ हैं, जो रहन-सहन, खान-पान सामाजिक स्तर, शिक्षा के स्तर और संस्कृति के आधार पर अनुसूचित जाति/जनजाति का दर्जा दिये जाने की पूर्ण पात्रता रखती हैं तथा कइ राज्यों में उन्हें ऐसा दर्जा प्राप्त है। इन जातियों की आर्थिक, शैक्षिक व सामाजिक उन्नति के लिए बंजारा, बोट व गुरछिया जाति को अनुसूचित जाति/जनजाति का दर्जा दिया जाना आवश्यक है। परन्तु प्रदेश सरकारें सब कुछ जानते हुए भी अपनी राजनैतिक प्राथमिकताओं के आधार पर प्रस्ताव करती हैं, जिससे पात्र जातियों को अनुसूचित जाति/जनजाति दर्जा प्राप्त नहीं हो रहा है। परिणामस्वरूप इन जातियों के लोग आर्थिक, सामाजिक व शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ते जा रहे हैं। इसलिए इन जातियों को धारा में लाने हेतु अनुसूचित जाति/जनजाति का दर्जा देने की क्रियाविधि में परिवर्तन करने की आवश्यकता है।

अतः केन्द्र सरकार से मेरा आग्रह है कि इस क्रियाविधि में परिवर्तन करके राज्य द्वारा प्रस्ताव न देने की स्थिति में भारत सरकार स्वयं संज्ञान लेकर उक्त जातियों द्वारा दिये प्रस्तावों का स्वयं सर्वेक्षण कराकर पात्र जातियों को अनुसूचित जाति/जनजाति का दर्जा प्रदान करके, उक्त पात्र जातियों को न्याय प्रदान करने का कार्य करे।